email_id : dcourtkhd-mp@nic.in Phone No. : 0733-2921001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांकः 63 /को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 24 मई, 2021

विषय :— दिनांक 24.05.2021 से 31.05.2021 तक न्यायालयों में होने वाले सुनवाई हेतु।

संदर्भ :— माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जारी मानक सुनवाई प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक—1/113 जबलपुर, दिनांक 15.01.2021, क्रमांक—ए/1095 दिनांक 26.03.2021, क्रमांक—ए/1149 दिनांक 03.04.2021 एवं दिनांक 20.04.2021।

—:0:—

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुपालन तथा म.प्र. राज्य में प्रभावशील म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/35—09/2020/दो/सी—2 भोपाल, दिनांक 12.04.2021 एवं पत्र क्रमांक/35—09/2020/दो/सी—2 भोपाल, दिनांक 20.04.2021 के प्रकाश में जिला दंडाधिकारी खंडवा द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 50/2021 में दिनांक 22.05.2021 को जारी किये गये सर्वप्रथम आदेश तथा उसके पृष्ठांकन क्रमांक 50/2021/न्या.लि./6847 और तत्पश्चात इसी प्रकरण में जारी आदेश, पृष्ठांकन क्रमांक 50/2021/न्या.लि./6855 के परिप्रेक्ष्य में तथा पूर्व में इस कार्यालय के विविध आदेश क्रमांक—61/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 30.04.2021 एवं क्रमांक—68/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 07.05.2021 को जारी आदेश की निरन्तरता में, मैं एल0डी0 बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा आज दिनांक 24.05.2021 से प्रभावशील करते हुए दिनांक 31.05.2021 तक की अवधि हेतु अथवा इस अवधि के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले अन्यथा निर्देश और अन्य आदेश तक के लिए जिला न्यायालय पूर्व निमाड़ खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप—तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में न्यायालयीन कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वी0सी0/विभिन्न एप्स जैसे—जित्सी, विड्यो एप आदि के माध्यम से तात्कालिक एवं अत्यावश्यक सुनवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश—आदेश जारी करता हूँ कि :—

(1) प्रत्येक कार्य दिवस में तात्कालिक एवं अत्यावश्यक सुनवाई योग्य वादपत्र, सिविल नियमित एवं विविध अपील, जमानत आवेदनपत्र, सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र ई—फाईलिंग द्वारा दोपहर 02.00 बजे तक पेश कर दिये जावें। इस समय के पश्चात् पेश होने वाले ऐसे मामलों को आगामी कार्य दिवस में ही सुनवाई में लिया जा सकेगा।

(2) जमानत आवेदनपत्र/सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र में केस डायरी संबंधित न्यायालय को मय प्रतिवेदन प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 02.00 बजे तक उपलब्ध करवा दी जावे, प्रत्येक पुलिस थाना द्वारा CCTNS पर भी संबंधित केस डायरी अपडेट रखी जायें, ई—मेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को उपलब्ध करा दी जावें।

(3) सत्र न्यायालय (अपर सत्र न्यायालय), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/सिविल जज के न्यायालय प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक तात्कालिक एवं अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे। चूंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहे हैं, अतः प्रत्येक कार्य दिवस में ऐसे न्यायिक अधिकारियों के द्वारा अपने

कर्त्तव्य का निष्पादन किया जावेगा, जो कि अवकाश पर नहीं है अर्थात् प्रथम कार्य दिवस को वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा और उसके आगामी दिवस में अन्य उपलब्ध अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा क्रमशः न्यायिक कार्य का निष्पादन किया जावेगा। प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक अवकाश दिवस में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी एक अथवा एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य निष्पादन हेतु आदेश के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा को अधिकृत किया जाता है। उनके अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा सुसंगत आदेश जारी करें और उसकी एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करें।

(4) नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग, मालखाना अनुभाग, अभिलेखागार अनुभाग यथावत पूर्व आदेशानुसार ही जारी रखा जावेगा अर्थात् जो कर्मचारी जिस दिवस में अवकाश पर नहीं है, वे अपने कार्यालयीन कर्त्तव्य का निष्पादन यथावत करेंगे। किसी कारण से अभिलेखागार और प्रतिलिपि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या में कमी रहती अथवा कार्य की अधिकता होती है तो उपरोक्तानुसार वर्णित न्यायिक अधिकारीगण के न्यायालयों से भिन्न न्यायालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। उक्त अवधि में सभी कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, उन्हें किसी भी समय तात्कालीक एवं अत्यावश्यक कार्य के निष्पादन हेतु बुलाया जा सकेगा।

(5) चूंकि सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अभी भी अनिवार्य नहीं है, इसलिए जिन न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन अवकाश पर हैं, ऐसे न्यायालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों जैसे–प्रस्तुतकार (सिविल), प्रवर्तन लिपिक, स्टेनोग्राफर, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक इन चार में से प्रत्येक कार्य दिवस में उस न्यायालय की आंतरिक व्यवस्था के अनुसार प्रथम और उसके बाद द्वितीय दिवस में एक के बाद एक अर्थात कम से कम 2 कर्मचारी आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपस्थिति प्रत्येक दिवस अनिवार्य रहेगी।

<u>नोट</u> :– यदि ऐसे कर्मचारी अवकाश पर न हो, तब।

(6) प्रत्येक न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्य दिवस में सुनवाई हेतु पूर्व से नियत प्रकरण में सुनवाई हेतु उस न्यायालय की सुविधा के अनुसार आगामी पेशी नियत की जावेगी, सी.आई.एस. में उसी दिन प्रविष्ठि की जावे। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की रजिस्ट्री से समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के सुसंगत आदेश के प्रकाश में विचाराधीन बंदियों, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष से अधिक अवधि के सभी मामलों को सुनवाई में प्राथमिकता देना है, फिर विशेष दांडिक विधि से संबंधित मामलों को भी विधि द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर निराकृत करना होता है; इसलिए ऐसे सब मामले प्राथमिकता के आधार पर, किन्तु संबंधित न्यायालय की सुविधानुसार (जिससे कि अनावश्यक भीड़ ना बढ़े और साक्षियों की संख्या भी सीमित हो), ऐसे मामलों को फिलहाल 1 जुलाई, 2021 से सुनवाई हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में दिन–प्रतिदिन नियत किया जावे। तथापि जब तक माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्ट निर्देश व आदेश प्राप्त न हो, तब तक ऐसे मामलों में साक्ष्य हेतु समन, वारंट जारी न किये जाएं और न ही पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थिति के लिए बाध्य किया जावे। संबंधित पक्षकार और उनके विद्वान अभिभाषक के ज्ञात मोबाइल नंबर पर नियत पेशी तारीख की सूचना **एसएमएस** के माध्यम से दी जावे। जहॉ तक इस कंडिका में उपरोक्त वर्णित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों की सुनवाई का प्रश्न है तो वे सभी अन्य मामले सुनवाई हेतु सितम्बर माह के पश्चात से ही नियत किये जावें तो उपरोक्त वर्णित मामलों की सुनवाई सहज एवं सुविधाजनक रीति से हो सकेगी।

सही/–

(एल0डी0 बौरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठां.क्र0 932/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 24 मई, 2021

<u>प्रतिलिपि</u> :—

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/परिवार न्यायालय/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

24/5

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)